

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म.प्र.)

आदेश

4 JUL 2023

क्र. 592 / दो-12-1 / 2004 (फा.29)

उज्जैन दिनांक.....2023

श्री अश्वाक् अहमद खान, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, उज्जैन दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप इस स्थापना पर पदस्थ श्री अश्वाक् अहमद खान, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, उज्जैन दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप इस स्थापना के कार्यालय आदेश क्रमांक 330 दिनांक 05.07.2021 तथा आदेश क्रमांक 422 दिनांक 14.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए म.प्र. की जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम-2016 की कडिका-19 (1) के आलोक में न्यायिक कर्मचारीगण को पदोन्नति किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

विभागीय पदोन्नति समिति-

- 01-अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
- 02-श्री सुनील कुमार (सीनियर), सदस्य एवं विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, उज्जैन।
- 03-श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, सदस्य एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन।



(आर.के.वाणी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म.प्र.

